

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठारसीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 25/2024

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

लालाराम पुत्र आम्बाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1.अचलाराम पुत्र छोगाराम 2.पारुदेवी पत्नि छोगाराम 3.भोपाराम पुत्र छोगाराम 4.वींजाराम पुत्र छोगाराम 5.झमुदेवी पत्नि मोड़ाराम 6.देवाराम पुत्र मोड़ाराम 7.मोहनलाल पुत्र मोड़ाराम 8.भंवराराम पुत्र आम्बाराम 9.मंगलाराम पुत्र आम्बाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 10.शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भूंका भगतसिंह 11.तहसीलदार सिणधरी।
---	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथित-

- 1.श्री पावुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपरिथित।
- 2.श्री बाबुलाल विशेनोई वकील प्रतिवादी से. 5 से 9 उपरिथित।
- 3.प्रतिवादी सं. 11 पैरोकार उपरिथित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 06.08.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा- लोहिडी पटवार हल्का भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 778 रकबा 24.6664 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.09.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।



सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- लोहिडी पटवार हल्का भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खरास नं. 778 रकबा 24.6664 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खरास नं.	रकबा हेक्टेयर	किरम	लगान	वरंग
1.	लालाराम पुत्र आंबाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार।	लोहिडी	778	3.0529	बा. दो.	2.64	लाल
2.	1. लालाराम पुत्र आंबाराम 1/4 2. झमुदेवी पत्नि मोझाराम 1/12 3. देवाराम पुत्र मोझाराम 1/12 4. मोहनलाल पुत्र मोझाराम 1/12 5. भंवराराम पुत्र आम्बाराम 1/4 6. मंगलाराम पुत्र आम्बाराम 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार।	लोहिडी	778	0.1294	बा. दो.	0.11	काला
3	1. अचलाराम पुत्र छोगाराम 381/2656 2. पारुदेवी पत्नि छोगाराम 381/2656 3. भोपाराम पुत्र छोगाराम 381/2656 4. वींजाराम पुत्र छोगाराम 381/2656 5. झमुदेवी पत्नि मोझाराम 126/2656 6. देवाराम पुत्र मोझाराम 126/2656 7. मोहनलाल पुत्र मोझाराम 126/2656 8. भंवराराम पुत्र आम्बाराम 377/2656 9. मंगलाराम पुत्र आम्बाराम 377/2656 जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। रहन अचलाराम, वींजाराम, भोपाराम व पारुदेवी का हि. SBI भूका भगत सिंह।	लोहिडी	778	21.4841	बा. दो.	18.59	हरा

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर वाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर